सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/15 निर्णय दिनांकः—19.04.2018

1. अलसीराम पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी डंडी हाल चक 1 बीएम तहसील उपनिवेशन कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. श्रीमती भंवरी कंवर पत्नि श्री इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 बीएम उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 1 जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28—07—2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 28—07—2010 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि चक 1 बी एम के मुरब्बा नम्बर 169/56 के किला नम्बर 1 ता 22 में 22 बीघा भूमि टीसी से पुख्ता आवंटन है। इसी मुरब्बे में किला नम्बर 23 ता 25 कुल 3 बीघा भूमि आराजीराज भूमि स्माल पेच आवंटन हेतु उपलब्ध थी। उक्त भूमि भूमि स्मालपेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन की गई। जबकि अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती थी। स्माल पेच आवंटन नियमों में जिसकी प्रथम वरीयता बनती हो उसे ही आवंटन किया जाना चाहिए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य है। पटवारी रिपोर्ट में अपीलांट के नाम का अंकन भी है तथा रिपोर्ट में वादगत् भूमि को स्मालपेच में आवंटन करवाने की पात्र व्यक्तियों की सूचना में अपीलांट/प्रार्थी का नाम भी अंकित है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नोटिस जारी करने की तमाम कार्यवाही गलत व अवैद्य तरीके से की गई है। तथाकथित नोटिस पर अपीलांट के अंगूठा निशानी बताई गई है वह फर्जी है अपीलांट को कभी नोटिस जारी नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलांट द्वारा फर्जी तामील के विरूद्व एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है जिस पर अनुसंधान जारी है। अपीलांट उक्त भूमि को हमेशा लेना चाहता था मगर नियमों के विरूद्व जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत है। तहसील पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी अपीलांट्स की भूमि होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 28—07—10 को सीधे ही एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को स्मालपेच में आवंटन कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 1 बीएम के मुरब्बा नम्बर 169/56 के किला नम्बर 23, 24 कमाण्ड व 25 अनकमाण्ड कुल रकबा 3 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों को नोटिस जारी किया गया। आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट अलसीराम व अन्य काश्तार बुधाराम, मनीनाथ को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट अलसीराम व अन्य काश्तकारों के नोटिस तामील उपरान्त प्राप्त हुए। लेकिन बाद नोटिस प्राप्ति अपीलांट अलसीराम उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात् आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रथम वरीयता के आधार पर आवंटित की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाइ जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं आये। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 658 व आरआरडी 1993 पेज 525 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—07—2010 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील

13—10—2011 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने क 1 बीएम के मुरब्बा नम्बर 169/56 के किला नम्बर 23, 24 कमाण्ड व 25 अनकमाण्ड कुल रकबा 3 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों को नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अलसीराम को क्रमांक 2960 दिनांक 07—07—2010 को नोटिस जारी किये गये तथा उक्त नोटिस की नियमानुसार अपीलांट अलसीराम पर तामील बताई गई। इस संबंध में अपीलांट द्वारा यह कथन करते हुए कि नोटिस की तामील फर्जी तरीके से करवाई गई इस बाबत् एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। जिस पर वर्तमान में अनुसंधान में जारी है।

(4) प्रश्नगत् मामलें में विवाद् का मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलांट को विधिवत् रूप से नोटिस की तामील करवाई गई है अथवा नहीं। अपीलांट का कथन है कि उसे अदालत मातहत द्वारा नोटिस की तामील नहीं करवाई गई है, अपीलांट को जारी तथाकथित नोटिस पर उसके अगूंठा निशानी नहीं है। वह आज भी वादगत् भूमि को आवंटन कराना चाहता है। हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें का अवलोकन किया। जिससे साबित है कि संबंधित पटवारी द्वारा भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व अन्य काश्तकार भंवरीकंवर पत्नी इन्द्रसिंह, बुधाराम पुत्र फूसाराम व मनीनाथ पुत्र नानुनाथ की वरियता कायम करते हुए अपीलांट अलसीराम की प्रथम वरियता कायम की गई है। वादगत् भूमि उसी के मुरब्बे में निहित है। अतः वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है।

(5) आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि यदि आवंटनशुदा भूमि के आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदक हो तो नियमानुसार निलामी द्वारा भूमि का आवंटन किया जावे। चूंकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के साथ—साथ अन्य काश्तकारों की भी वरियता कायम की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि सभी काश्तकारों को विधिवत नोटिस जारी करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

(6) हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न आदेशिका का भी अवलोकन किया। उक्त आदेशिका में दिनांक 07—07—2010 को सभी प्रभावित काश्तकारों को नोटिस दिया जाकर पत्रावली दिनांक 15—07—2010 को पेश करने हेतु निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात् पत्रावली में निर्धारित दिनांक 15—07—2010 के बाबत् पत्रावली की आदेशिका में किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 28—07—2010 को पेशी में लेते हुए अंकन किया गया कि प्रभावित कृषकों को नोटिस जारी तामील पत्रांक 2018 दिनांक 30—06—2010 द्वारा प्राप्त हो चुके है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जब पत्रावली में दिनांक 07—07—2010 को नोटिस जारी किये जाने दर्शाये गये है तब दिनांक 30—06—2010 को ही बाद तामील किस प्रकार प्राप्त हो सकते है। प्रकरण में यह स्थिति संदेह का प्रश्न तथा अपीलाधीन आदेश को दुषित करती है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

(7) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, आवंटन नियमों के विपरीत जाकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया जाना साबित है। ऐसा आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 28—07—2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी करते हुए जरिये यदि एक से अधिक आवेदकों हो तो जरिये निलामी भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर